निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 09 / 2025
दायरा दिनांकः–29.01.2025
निर्णय दिनांकः–30.7.25

उनवान

1. दीपचन्द आयु 24 वर्ष पुत्र कजोडलाल
2. महावीर आयु 29 वर्ष पुत्र कजोडलाल
3. नारायण आयु 68 वर्ष पुत्र मोतीलाल उर्फ मोत्या
4. लोकेश आयु 15 वर्ष पुत्र मदन नाबालिग जर्ये वली सरपरस्त माता यशोदा बाई
5. धापू आयु 24 वर्ष पुत्री मदन
6. निर्मला आयु 34 वर्ष पुत्री मदन
7. गुड्डी उर्फ सुनिता आयु 29 वर्ष पुत्री मदन
8. पप्पी उर्फ भूलीबाई आयु 26 वर्ष पुत्री मदन
9. मंजु उर्फ मनभर आयु 32 वर्ष पुत्री मदन
10. यशोदा बाई आयु 68 वर्ष पत्नि मदन
11. कैलाश आयु 70 वर्ष पुत्री मोत्या जातियान माली निवासीगण ग्राम देहरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.7.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमन्त पारीक – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम देहरी खाता संख्या 87 खसरा नम्बर 399 रकबा 0.8347 है0 खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 325 रकबा 0.0632 है0 खसरा नम्बर 401 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नंबर 403 रकबा 0. 3794 हैक्टेयर, कुल 03 किता मवाजी रकबा 1.8590 हैक्टेयर, खाता संख्या 90 भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नंबर 112 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नंबर 324 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसरा नंबर 392 रकबा 1.0244 हैक्टेयर, खसरा नंबर 402 रकबा 1.9855 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 रकबा 0.5691 हैक्टेयर, खसरा नंबर 99 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल 07 किता रकबा 4.4896 हैक्टेयर प्रार्थीगण 1 ता 11 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वाके ग्राम चांचौड़ा खाता नं. 182 खसरा नं. 1028 रकबा 2.2764 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082/1 रकबा 1.2014 हैक्टेयर, कुल 02 किता मवाजी रकबा 3.4778 हैक्टेयर प्रार्थीगण 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 व 2 में वर्णित भूमियात प्रार्थीगण की प्रैत्रिक जायदाद है जो पूर्वजो से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण नंबर 4 ता 10 के पिता/पति मदन का स्वर्गवास होने पर फौती इंतकाल प्रार्थीगण के नाम खोला गया था इंतकाल खोलते समय प्रार्थीगण नंबर 7 का बोलता नाम गुड्डी एवं नंबर 8 का बोलता नाम पप्पी एवं नंबर 9 का बोलता नाम मंजू दर्ज कर दिया गया। तथा इंतकाल के आधार पर उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिये गये। प्रार्थी कम 7 का बोलता नाम गुड्डी था लेकिन वास्तविक नाम सुनिता है एवं प्रार्थी कम 8 का बोलता नाम पप्पी था लेकिन वास्तविक नाम भूलीबाई है एवं प्रार्थी कम 9 का बोलता नाम मंजू था लेकिन वास्तविक नाम मनभर है, तथा प्रार्थीगण 7 ता 9 के सभी सरकारी दस्तावेजात में वास्तविक नाम प्रार्थीया नंबर 7 का नाम सुनिता, प्रार्थीया कम 8 का नाम भूलीबाई, ओर प्रार्थीया नंबर 9 का नाम मनभर दर्ज है। प्रार्थीगण कम 7 ता 9 के पिता मदन की मृत्यु के समय प्रार्थीगण गुड्डी उर्फ सुनिता, पप्पी उर्फ भूलीबाई एवं लोकेश नाबालिंग थे इस कारण इंतकाल के समय नाबालिंग होने से राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिंग दर्ज किया गया था तथा वर्तमान मे भी प्रार्थीगण गुड्डी उर्फ सुनिता, पप्पी उर्फ भूलीबाई एवं लोकेश नाबालिंग दर्ज है। 6. राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी कम 7 व 8 का नाम के साथ नाबालिंग दर्ज है जबकि प्रार्थीगण कम 7 ता 8 वर्तमान में बालिंग हो चुके है लेकिन प्रार्थीगण के सरकारी दस्तावेज में राजस्व रिकॉर्ड से भिन्न नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण का बालिंग के नाम इंतकाल नहीं खुल पा रहा है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न होने से प्रार्थीगण राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार का कोई परिलाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 व 2 में वर्णित भूमियाम के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण 7 ता 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड व सरकारी दस्तावेजात में भिन्न होने से प्रार्थीया कम 7 गुड्डी अपना वास्तविक नाम सुनिता, एवं प्रार्थीया कम 8 पप्पी अपना वास्तविक नाम भूलीबाई, ओर प्रार्थीया नंबर 9 मंजू अपना वास्तविक नाम मनभर दर्ज करवाने के अधिकारणी है। 8. वाद कारण दिनांक 02.01.2025 को पेदा हुआ जब प्रार्थीगण 7 ता 9 राजस्व रिकार्ड में दूरस्ती करवाकर वास्तविक नाम दर्ज करवाने के लिये अप्रार्थी के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में दूरस्ती करने से मना कर दिया तथा वाद पेश करने का कहा अत वाद माननीय न्यायालय में पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी तहसील छबड़ा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 87 नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 89 नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 90 नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 182 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड दीपचन्द, आधार कार्ड महावीर, आधार कार्ड नारायण, आधार कार्ड लोकेश

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सुमन, आधार कार्ड धापू, आधार कार्ड विमला बाई, आधार कार्ड सुनिता बाई, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड भूली, आधार कार्ड मनभर, आधार कार्ड जशोदा बाई, आधार कार्ड कैलाश बाई पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम देहरी व ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है जो पूर्वजों से प्राप्त हुई है प्रार्थीगण के पूर्वज मदन का स्वर्गवास होने पर फोती नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम खोला गया था फोती नामान्तरण खोलते समय प्रार्थी क्रम 7 का बोलता नाम गुड्डी व प्रार्थी क्रम 8 का बोलता नाम पप्पी एवं प्रार्थी क्रम 9 का बोलता नाम मंजु दर्ज कर दिया है लेकिन प्रार्थी क्रम 7 गुड्डी का वास्तविक नाम सुनिता प्रार्थी क्रम 8 पप्पी का वास्तविक नाम भूली बाई एवं प्रार्थी क्रम 9 मंजु का वास्तविक नाम मनभर है प्रार्थीगण 7 ता 9 के सभी दस्जावेजात में वास्तविक नाम सुनिता, भूलीबाई, मनभर बाई, दर्ज है प्रार्थी क्रम 7 ता 9 के पिता का फोती नामान्तरण खोलते समय गुड्डी उर्फ सुनिता, पप्पी उर्फ भूलीबाई, एवं लोकेश नाबा0 थे इसलिए नाबा0 होने से राजस्व रिकार्ड में नाबा0 दर्ज किया गया है प्रार्थी क्रम 7 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से प्राप्त किसी भी योजना का लाभ प्रार्थीगण को नही मिल पा रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी क्रम 7 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी पटवार मण्डल चांचोडा के ग्राम देहरी खसरा नम्बर 399 रकबा 0.8347 है0 खसरा नम्बर 325 0.0632 है0 खसरा नम्बर 401 रकबा 1.4164 है0 खसरा नम्बर 403 रकबा 0.3794 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8590 है0 खसरा नम्बर 112 रकबा 0.1265 खसरा नम्बर 324 रकबा 0.4047 है0 खसरा नम्बर 327 रकबा 0.3415 है0 खसरा नम्बर 392 रकबा 1.0244 है0 खसरा नम्बर 402 रकबा 1.9855 है0 खसरा नम्बर 49 रकबा 0.5691 है0 खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0379 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 4.4896 है0 में वादी नाबालिग गुड्डी नाबालिग पप्पी, मंजु पुत्री मदन हिस्सा सामान 1/21 जाति माली सा0देह दर्ज है। ग्राम चांचोडा में खसरा नम्बर 1028 रकबा 2.2764 है0 खसरा नम्बर 1028/1 रकबा 1.2014 है0 कुल किता 2 रकबा 3.4778 है0 में वादी का नाम नाबालिग गुड्डी पुत्री मदन नाबालिग पप्पी मंजु पुत्रिया मदन हिस्सा सम्मान 1/21 जाति माली सा0देह वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। वादियों के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की जॉच की गई। जिसमें पाया कि नामान्तरण नम्बर 428 से वादिया के पिता मदन पुत्र मोती फोत हो चुके है जिसका नामान्तरण दर्ज कर वादियों के नामान्तरण जमाबन्दी में दर्ज हुए जिसकी प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है उक्त नामान्तरण से मदन के स्थान पर लोकेश नाबालिग पुत्र मदन, यशोदा बाई बेवा मदनलाल निर्मला मंजु व धापू गुड्डी पप्पी नाबा0 पुत्रिया मदन हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ जो वर्तमान तक दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। वादियो के दस्तावेजकी जॉच की गई जिसमें वादी गुड्डी का नाम आधार कार्ड में सुनिता वादी पप्पी का आधार कार्ड में नाम भूली वादी मंजु का आधार कार्ड में नाम मनभर दर्ज है। वादियो के सम्बन्ध में ग्राम वासियों से पुछताछ की गई जिसमें पाया कि ग्राम में वादिया गुड्डी का बोलता नाम है लेकिन दस्तावेज में सुनिता हे इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पप्पी बोलता नाम है दस्तावेज में भूली है मंजु बोलता नाम है दस्तावेज में मनभर है प्रार्थीया एक ही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 87 में गुड्डी नाबा0 धापु, नाबा0 पप्पी एवं नाबा0 लोकेश व मंजु दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 89 एवं खाता संख्या 90 में नाबा0 गुड्डी, नाबा0 पप्पी, नाबा0 लोकेश एवं मंजु दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 182 में प्रार्थी नाबा गुड्डी नाबा0 धापु नाबा0 पप्पी नाबा0 लोकेश मंजु बाई दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में सुनिता बाई पत्नि हरगोविन्द वार्ड नम्बर 27 खानपुर, मनभर पत्नि राधेश्याम निवासी बेडक्या तहसील बारां एवं भूली पुत्री मदनलाल निवासी देवरी दर्ज है इन दस्तावेजों से यह साबित नही है कि गुड्डी एवं सुनिता, पप्पी एवं भूली तथा मंजु एवं मनभर एक ही महिला है इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में भी सहखातेदारों मोतबिरानों के हस्ताक्षर नही है अतः उपरोक्त के क्रम में प्रार्थीयागण रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में दिया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबड

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)